तारीख हुक्म		जारी हुए
22-05-24	शरिस्ता से रिपोर्ट होकर पत्रावली प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जारी नोटिस अप्रार्थी को तलबकर पत्रावली दिनांक 30-05-24 को पेश हो।	
30-5-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कार्य स्थगित कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली [illegible]बिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-06-24 को पेश हों।	
6-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी की तरफ से सरकार पैरोकार उपस्थित अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं कर सहमति पत्र की हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। पत्रावली पर उभयपक्ष को सुना गया। बहस समाप्त पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

32 / प्रा.पत्र / 2024 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 22.05.2024 — श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. अनिता देवी पत्नी रतिराम जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।
2. कमोदेवी पत्नी अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिकराय जिला दौसा राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से :— श्री महेन्द्र रेबारी अधिवक्ता।

अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 06.06.2024

—:आदेशः—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम डांगाहेड़ी, पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खसरा संख्या 112 रकबा 4.05 है0, ख0सं0 113 रकबा 4.05 है0 कुल किता 2 रकबा 8.10 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि की सीमाओं की जानकारी व पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है और प्रार्थिगण को अपने खेत की कृषि भूमि की तारबन्दी करवाना चाहती है क्योंकि पास में अन्य लोगों की कृषि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

भूमियों स्थित है, इस कारण आये दिन मेड़ संबंधी विवाद पैदा होने की संभावना रहती है और किसी भी दिन लड़ाई–झगड़ा हो सकता है। प्रार्थिगण द्वारा पहले भी सीमाज्ञान के लिए अप्रार्थी को निवेदन किया गया लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त हैं कि वह अपने खेत की पत्थरगढ़ी व सीमांकन करवा सके और खेत के चारों ओर तरफ तारबन्दी व मेडबन्दी कर सकें। प्रार्थीगण की खाते व कब्जे की कृषिभूमि के सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थिया उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाव प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की वहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ कि जमाबंदी 2074–77 खाता संख्या नया 24 पुराना 20 के खसरा संख्या 112 रकबा 4.05 है0, ख0सं0 113 रकबा 4.05 है0 कुल किता 2 रकबा 8.10 है0 जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)